आरई-11

बी.वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विनियम

[दिनांक 01.12.2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 29वीं बैठक में संकल्प सं ईसी 29.05.1 (i) द्वारा अनुमोदित]

(अध्यादेश ओसी-4 और ओसी-5 के अधीन)

1. प्रस्तावना

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के एक हिस्से के रूप में उच्च शिक्षा आधारित कौशल विकास पर बैचलर ऑफ वोकेशनल (बी.वोकेशनल) डिग्री प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) योजना के अनुपालन में विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित विषयों पर बी.वोकेशनल डिग्री प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा आधारित डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निर्णय लिया है :

1. खुदरा प्रबंधन
2. पर्यटन एवं सेवा उद्योग
3. सॉफ्टवेर विकास
4. फार्मास्युटिकल रसायनिकी
5. सूचना प्रौद्योगिकी

इन पाठ्यक्रमों को यूजीसी योजना के अनुसार और एनएसक्यूएफ़ ढांचे के अनुरूप कई वार के लिए निकास/प्रवेश की सुविधा सहित संरचना की जाती है और 6 सेमेस्टर पाठ्यक्रम की समाप्ति में, मामला जो भी हो, प्राप्त किए गए कौशल के स्तरों के आधार पर डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा अथवा बी.वोकेशनल डिग्री प्रदान किया जा सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम अपने उत्पादों को पर्याप्त रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों में एक सार्थक भागीदारी हेतु तैयार करने के लिए सक्षम होगा।

ऊपर उल्लेखित सभी प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रासंगिक क्षेत्र में कौशल और सामान्य शिक्षा का एक विवेकपूर्ण मिश्रण होगा और आशा है कि वे अपने छात्रों को उभरती हुई रुझानों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पसंगिक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे।

ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करनेवाले विश्वविद्यालय के सभी सम्बद्ध संस्थानों को एक सलाहकार समिति का गठन करना होगा जो संस्थान में संचालित बी.वोकेशनल पाठ्यक्रम की निगरानी रखने तथा पाठ्यक्रमों के संचालन एवं स्थिति के बारे में यूजीसी को समय समय पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगी। संस्था स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल होंगे :

1. अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य
2. नोडल अधिकारी : सदस्य-सचिव
3. संबंध क्षेत्र कौशल परिषदों के प्रतिनिधि
4. उद्योग सहभागी के प्रतिनिधि
5. विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
6. शैक्षणिक विशेषज्ञ के रूप महाविद्यालय के संकाय प्रतिनिधि

विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन कार्यों की निगरानी निम्नानुसार गठित की गई सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी :

1. अध्यक्ष के रूप में कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति
2. नोडल अधिकारी : सदस्य सचिव (शैक्षणिक कुलसचिव/निदेश, सीडीसी)
3. राज्य बोर्ड/तकनीकी शिक्षा परिषद के निदेशक अथवा नामित व्यक्ति

4. प्रासंगिक क्षेत्र कौशल परिषद के प्रतिनिधि
5. उद्योग सहभागियों के प्रतिनिधि
6. बी.वोकेशनल पाठ्यक्रम चलानेवाले महाविद्यालयों के प्रतिनिधि (संबन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य/ नोडल अधिकारी)
7. शैक्षणिक विशेषज्ञ के रूप में विश्वविद्यालय संकायों के प्रतिनिधि

2. प्रवेश मानदंड:

एक व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र होने के लिए किसी प्रार्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान शाखा में +2 स्तर की स्कूली शिक्षा या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इसके अलावा, प्रार्थी कौशल आधारित पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, वशर्ते कि

क. प्रार्थियों को पहले से ही किसी विशेष उद्योग क्षेत्र में एनएसक्यूएफ़ प्रमाणन स्तर 4 हासिल करना अनिवार्य होगा अथवा

ख. प्रार्थियों ने पहले ही एक विशेष उद्योग क्षेत्र में एनएसक्यूएफ़ स्तर 4 हासिल कर लिया है किन्तु वे एक अलग कौशल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने व्यापार को बदलने हेतु इच्छुक हैं।

ग. किसी व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा करनेवाले प्रार्थियों को रैंकिंग सूचकांक में 25 अंकों का अतिरिक्त भार दिया जाएगा और रैंकिंग की गणना करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों को योग्यता परीक्षा में 600 में रूपांतरित किया जाएगा।

घ. पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मूल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा धारकों (10+2 के बाद) को सीटों की उपलब्धता के आधार पर उच्च डिप्लोमा में प्रवेश दिया जा सकता है।

ङ. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडो को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों में सभी दाखिला राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रवेश के समय में लागू किए गए आरक्षण नीति के प्रावधानों के अधीन होंगे और उन प्रावधानों के अनुपालन में होंगे।

3. पाठ्यक्रम की प्रकृति

सभी प्रस्तावित बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम अध्यादेश ओसी-5 के प्रावधानों के तहत होंगे, जैसा कि इस विश्वविद्यालय के अन्य सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए है। इन पाठ्यक्रमों की विशेष प्रकृति के मद्देनजर आवश्यकता होने पर पर्याप्त संशोधन के अधीन इन पाठ्यक्रमों के लिए सीबीसीएस मूल्यांकन योजना होंगी। सामान्य संशोधन के अनुसार बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम :

क. मुक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा जैसा कि अन्य नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के मामले में होंगे।

ख. किसी वैकल्पिक विषय को चयन करने नहीं देगा।

ग. सभी छः सेमेस्टरों के अंत में कुल क्रेडिट को बढ़ाने नहीं देगा।

घ. सभी व्यावसायिक विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में माना जाएगा।

ङ. किसी प्रकार के सुधार के प्रावधान उपलब्ध नहीं होंगे।

च. यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर को विधिवत रूप से पूरा नहीं कर पाता है तो उसे दो अनुपूरक अवसर दिये जाएंगे।

छ. किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कार्यावधि सप्ताह में कम से कम 30 घंटे की होगी।

ज. पाठ्यक्रम पाठ्यसूची में शिक्षण भार के 40% सामान्य संघटक शामिल होंगे और शेष बचे 60% कौशल प्रशिक्षण के लिए होंगे।

4. अवधि:

बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी जिसे समान रूप से सेमेस्टरों में विभाजित की जाएगी। मूल्यांकन के समय को छोड़कर सेमेस्टर में कम से कम 90 शिक्षण-अधिगम दिवस होंगे।

5. पाठ्यक्रम संरचना

बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम में सामान्य और कौशल संघटकों का मिश्रण होगा जिसमें कुल विषयों के 40% अंग्रेजी में भाषा पाठ्यक्रम सहित सामान्य प्रकृति के होंगे, जबकि शेष 60% विषय विकासशील कौशल पर होंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम विवरणिका को संबन्धित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित और आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

6. क्रेडिटों का वितरण एवं प्रमाणन स्तर:

एनएसक्यूएफ़	कौशल संघटक क्रेडिट	सामान्य शिक्षा क्रेडिट	डिग्री के लिए कुल क्रेडिट	सामान्य पाठ्यक्रम अवधि	प्रस्थान अंक / सम्मान
4	18	12	30	एक सेमेस्टर	प्रमाणपत्र
5	36	24	60	दो सेमेस्टर	डिप्लोमा
6	72	48	120	चार सेमेस्टर	उन्नत डिप्लोमा
7	108	72	180	छ: सेमेस्टर	बी. वोकेशनल डिग्री

7. पाठ्यक्रम संरचना

बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम में कई निकास/प्रवेश बिन्दु होंगे। विश्वविद्यालय के ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेनेवाला कोई भी प्रार्थी एक बार में सभी छह सेमेस्टरों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है और उसके द्वारा चुने गए प्रासंगिक कौशक क्षेत्र में बी. वोकेशनल डिग्री के साथ विश्वविद्यालय छोड़ सकता है। जबकि, एक छात्र के पास संबन्धित व्यापार में प्रमाणपत्र के साथ प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प होगा और यदि कोई प्रार्थी पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बाहर जाने हेतु इच्छुक है तो वह प्रासंगिक व्यापार में एक उन्नत डिप्लोमा के साथ ऐसा कर सकता है।

पाठ्यक्रम के पूरे छह सेमेस्टरों की क्रेडिट वितरण संरचना पर निम्नानुसार विचार किया जाता है:

सेमेस्टर	कौशल संघटक क्रेडिट	सामान्य संघटक क्रेडिट	कुल क्रेडिट	सेमेस्टर के अंत में संचयी क्रेडिट
सेमेस्टर I	18	12	30	30

सेमेस्टर II	18	12	30	60
सेमेस्टर III	18	12	30	90
सेमेस्टर IV	18	12	30	120
सेमेस्टर V	18	12	30	150
सेमेस्टर VI	18	12	30	180

इन पाठ्यक्रमों के सामान्य संघटकों में विश्वविद्यालय के उपायुक्त प्राधिकारों द्वारा बनाए गए और विकसित किए जानेवाले ऐसे अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में चलाये गए तीन बुनियादी स्तर के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस पाठ्यक्रम के कौशल घटक हिस्से का उदेश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और विधिवत विश्वविद्यालय के उपयुक्त मंच पर अनुमोदित किया जाना होगा, किन्तु संबन्धित क्षेत्र कौशल परिषद, जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, द्वारा प्रारूपित और अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। कौशल घटक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को भी संबन्धित क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा जो प्रमाणन के कौशल मूल्यांकन और पृष्ठांकन करेगा।

8. क्रेडिटों की गणना:

इस पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

i. सिद्धान्त, कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं और ट्यूटोरियल के लिए एक क्रेडिट 15 पीरियड के बराबर होगा, जिसमें प्रत्येक पीरियड 60 मिनट के लिए होगा;

ii. औद्योगिक यात्रा के लिए क्रेडिट का भार 50% प्रतिशत के बराबर घंटे के लिए होगा और उतना ही व्याख्यानों/कार्यशालाओं के लिए होंगे;

iii. ई-सामग्री अथवा किसी अन्य पर आधारित आत्म-शिक्षा के लिए अध्ययन के समकश भानते के लिए क्रेडिटों का भार 50% प्रतिशत होना चाहिए अथवा व्याख्यानों/कार्यशालाओं के लिए निर्धारित से कम होना चाहिए।

9. सामाजिक सेवा/व्यापक गतिविधियां:

छात्रों को संस्थागत क्षेत्र, जिसमें छात्र नामांकित करेगा, के अंदर अथवा उसके बाहर आयोजित विस्तारित/एनएसएस/एनसीसी अथवा अन्य विशिष्ट सामाजिक सेवा, खेल, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना होगा और इस तरह की प्रतिभागिता प्रार्थी के लिए अपेक्षित एक अतिरिक्त क्रेडिट निर्धारित नून्यतम 180 क्रेडिटो से अधिक होगा।

10. उपस्थिति :

सामान्यत: किसी भी प्रार्थी को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नून्यतम 75.0% उपस्थिती होना अनिवार्य है। हालांकि, दस्तावेजी प्रमाणों द्वारा विधिवत समर्थित वास्तविक आधार पर प्राचार्य, निदेशक अथवा विभाग के अध्यक्ष, मामला जो भी हो, यदि वे उचित मानते है और उनके जानकारी में ऐसा करना उपयुक्त मानते हैं, तो छात्रों को निर्धारित उपस्थिति से अधिकतम 5% की उपस्थिति माफ कर सकते हैं।

11. मूल्यांकन:

क. **आंतरिक आकलन (आईए) :** बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र निरंतर मूल्यांकन (सीई) के अधीन होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक सेमेस्टर समाप्ति मूल्यांकन (ईएसई) होगी। निरंतर मूल्यांकन (सीई) में कुल अंकों का 30% होगा और उसका मूल्यांकन परीक्षा, गृहकार्य और/अथवा सेमीनारों, जो भी उचित समझा जाए, द्वारा किया जाएगा। एक सेमेस्टर के दौरान समान अंकों के कम से का दो ऐसे आकलन होंगे और दोनों ही अनिवार्य होंगे। आंतरिक आकलन का मूल्यांकन शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा के संचालन के लिए उत्तरदायी शिक्षक प्रभारी शामिल होंगे। किसी भी आंतरिक आकलन में शामिल नहीं होनेवाले छात्रों को सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा में बैठने और सेमेस्टर पूरा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को आवश्यक विश्वविद्यालय वैबसाइट में अपलोड किए जाएंगे ताकि परिणामों को एक साथ संकलित किया जा सके।

ख. **सेमेस्टर समाप्ति मूल्यांकन (ईएसई) :** सभी सेमेस्टरों में सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एक सामान्य समय-सारिणी तैयार की जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा का समय 2.5 घंटे होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय में लागू के अनुसार प्रश्न-पत्र बनाने और मूल्यांकन कार्य के लिए नियमित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

12. परियोजनाओं का मूल्यांकन:

बी. वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए परियोजना एक अभिन्न अंग होगी और प्रत्येक छात्र द्वारा पाठ्यक्रम के छठे सेमेस्टर में परियोजना कार्य करना होगा। परियोजना की रिपोर्ट की प्रतिलिपि छठे सेमेस्टर के पूरा होने से पहले विभाग में जमा करनी होगी। परियोजना कार्य में कोई सीई (आंतरिक आकलन) घटक नहीं होगा और विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जानेवाले कम से कम दो शिक्षकों से गठित बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। नियुक्त बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत आधार पर प्रत्यके छात्र को उनके परियोजना कार्यों की बचाव के लिए एक उपयुक्त समय-सीमा प्रदान करते हुए परियोजना पर एक मौखिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा।

13. ग्रेडिंग

प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा या बी. वोकेशनल डिग्री, मामला जो भी हो, के साथ पाठ्यक्रम से प्रस्थान करने के समय किसी छात्र के एसजीपीए/सीजीपीए अंकों को छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड सुनिश्चित करने के लिए माना जाएगा। सीई (आंतरिक आकलन) और ईएसई दोनों के औसत अंकों को आकलन के इसी उद्देश्य से गणना की जाएगी। विश्वविद्यालय प्राप्त अंकों और साथ ही समकक्ष ग्रेड बिन्दु दोनों को प्रदर्शित करते हुए ग्रेड कार्ड जारी करेगा। प्राप्त रैंक प्राप्त पूर्ण अंकों के आधार पर गणना की जाएगी।

14. ग्रेड प्रदर्शन अक्षर:

पाठ्यक्रम के सफल समापन पर दिये गए ग्रेड निम्नलिखित होंगे :

ए - उत्कृष्ट
बी - बहुत अच्छा
सी - अच्छा
डी - औसत
ई - औसत से कम

ग्रेड 'डी' या उससे नीचे वाले प्रार्थियों को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा।

15. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति हासिल करते हुए सेमेस्टर पूरा करनेवाले छात्र और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर की सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले छात्र, चाहे वे सेमेस्टर विधिवत रूप से पूरा किया है अथवा नहीं किया है, ही केवल अगले उच्च सेमेस्टर तक आगे बढ़ने के लिए योग्य होंगे। सभी नामांकित छात्रों को एक निर्धारित प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम चार सेमेस्टरों के भीतर सभी निर्धारित सेमेस्टरों, उन्नत प्रमाणपत्र के लिए छह सेमेस्टरों और बी वोकेशनल डिग्री के लिए दस सेमेस्टरों को विधिवत रूप से पूरा करना होगा, ऐसा करने में विफल होने पर संबन्धित छात्र को बिना किसी डिग्री से पाठ्यक्रम से बाहर निकलना होगा।

16. गलत साधन:

जैसा कि वर्ष 2014 में और उसके बाद संशोधित परीक्षाओं के संचालन पर विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के सभी पंजीकृत छात्रों पर लागू होता है।

17. परीक्षा अनुशासनात्मक समिति:

जैसा कि वर्ष 2014 में और उसके बाद संशोधित परीक्षाओं के संचालन पर विनियमों में दिया गया है।

18. त्रुटि समिति:

जैसा कि वर्ष 2014 में और उसके बाद संशोधित परीक्षाओं के संचालन पर विनियमों में दिया गया है।